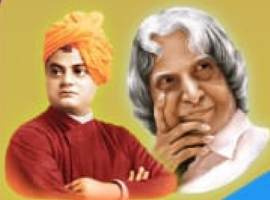

मिशन शिक्षण संवाद

भारतीय संविधान के भाग

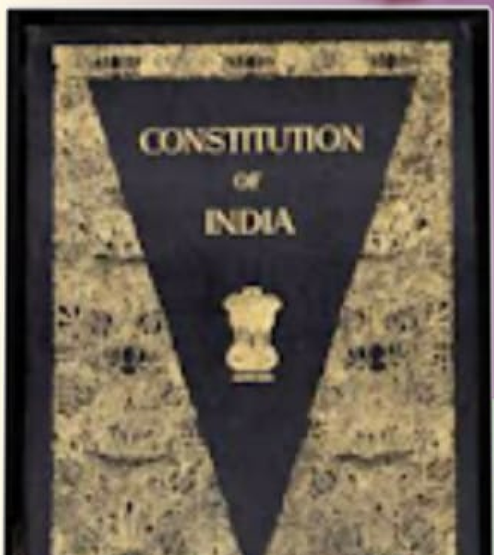

काव्य मंजरी

शैक्षिक कविताओं का संकलन

संकलन

काव्य मंजरी टीम

मिशन शिक्षण संवाद

शिक्षा का उत्थान

शिक्षक का सम्मान

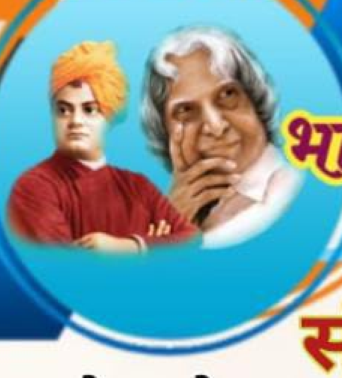

मिशन शिक्षण संवाद

भारतीय संविधान के भाग

01

संघ व उसका राज्य क्षेत्र

भारत देश होकर बद्ध,
बना राज्यों का संघ।
पहली सूची में निर्दिष्ट,
उसी देश को समाविष्ट।।

भाग–1 (संघ और उसके राज्य क्षेत्र)

- भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा —*अनुच्छेद-1*
- अनुच्छेद -1 में वर्णित है —*संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र*
- कौन-से अनुच्छेद में नये राज्यों का प्रवेश व स्थापना का वर्णन है —*अनुच्छेद-2 में*
- भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है —*राज्यों का संघ*
- भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है —*संसद को*

संसद विधि के द्वारा ही,
नए राज्यों का प्रवेश।
क्षेत्र राज्य का घटा-बढ़ा,
कर सकेंगे नाम में फेर।।

सूची हो पहली या चौथी,
संशोधन, अनुपूरक, आनुषंगिक।
अनुच्छेद दो व तीन में,
विषयों को किया आंगिक।।

नए राज्य समावेश के लिए,
संसद को शर्तों के साथ।
ठीक समझ स्थापना का,
अधिकार दिया उनके हाथ।।

रचना-
आयुषी अग्रवाल (स०अ०)
क० वि० शेखूपुर खास
कुन्दरकी (मुरादाबाद)

शिक्षा का उत्थान

शिक्षक का सम्मान

मिशन शिक्षण संवाद

भारतीय संविधान के भाग

02

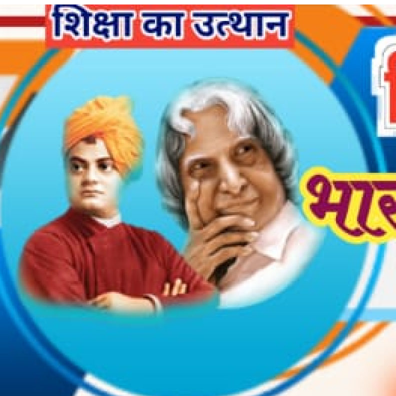

नागरिकता

भारतीय संविधान में,
भाग 2 नागरिकता का है।
अनुच्छेद पाँच से ग्यारह तक,
नागरिकता की चर्चा है।।

अनुच्छेद पाँच में बताया गया है,
कौन भारतीय नागरिक होगा।
संविधान लागू होने से पहले जो,
पाँच साल भारत में रहा होगा।।

उसके बाद अनुच्छेद सात, आठ, नौ हैं,
दस, ग्यारह भी अति महत्वपूर्ण हैं।
देश में रह रहे सभी व्यक्ति नागरिक नहीं हैं,
ये अनुच्छेद संसद को देते शक्ति पूर्ण हैं।।

भारत के किसी राज्य की होती भारतीय-नागरिकता,
स्वेच्छा से जिसने अर्जित की विदेशी-नागरिकता।
अनुच्छेद चार, पाँच, छः, आठ अनुसार,
उसे नहीं मिलेगी भारतीय नागरिकता।।

रचना- नैमिष शर्मा (स०अ०)
परि० संवि० पूर्व मा० वि०- तेहरा
विकास खण्ड व जनपद- मथुरा

मिशन शिक्षण संवाद

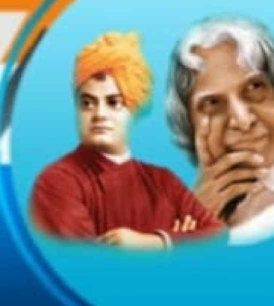

भारतीय संविधान के भाग

03

भारतीय संविधान में दिए,
सभी व्यक्तियों को कुछ अधिकार।
मानसिक, भौतिक व नैतिक,
विकास के लिए ये मौलिक अधिकार।।

पहला समता का अधिकार,
जिसमें समान सभी को जानो।
दूजा स्वतन्त्रता का अधिकार,
इसमें स्वतंत्र हैं सभी मानो।।

शोषण के विरुद्ध अधिकार,
बाल श्रम नहीं करवाना।
कोई भी कैसे भी व्यक्ति की,
खरीद बिक्री दण्ड है माना।।

इसके अलावा है तीन अधिकार,
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
संस्कृति व शिक्षा से सम्बन्धित व,
संवैधानिक उपचारों का अधिकार।।

मूल अधिकार
(Fundamental Rights)

1. समता या समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से 18)
2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 से 22)
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 से 24)
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28)
5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29 से 30)
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

रचना
हेमलता गुप्ता (स० अ०)
प्रा० वि० मुकन्दपुर
लोधा, अलीगढ़

शिक्षा का उत्थान

शिक्षक का सम्मान

मिशन शिक्षण संवाद

भारतीय संविधान के भाग

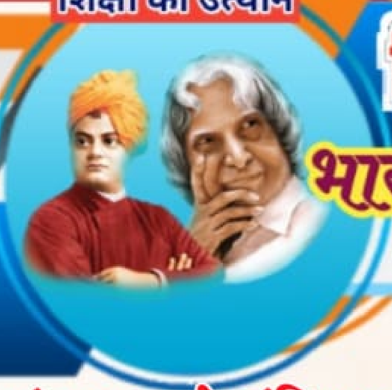

04

नीति निर्देशक तत्व

स्वतंत्र भारत के संविधान में,
रखते अपना महत्वपूर्ण स्थान।
चुने गये आयरलैंड संविधान से,
नीति- निर्देशक तत्व का कार्य महान।।

36 से 51 तक भारतीय संविधान में,
वर्णित है राज्य के नीति- निर्देशक तत्व।
भाग 3 और 4 आत्मा है संविधान की,
निहित है जिनमें न्याय का वास्तविक तत्व ।।

दिशा दिखाते कार्यपालिका को,
पर स्वतंत्र रखते न्यायपालिका को।
है केवल राजनैतिक स्वरूप इनका,
जिससे राज्य की जनता का हो भला ।।

सकारात्मक भूमिका सिखाते राज्य को,
मजबूत करते सामाजिक जनतंत्र को।
हो संतुलित आर्थिक विकास सभी का,
ग्राम पंचायतों और कुटीर उद्योगों का।।

रचना- प्रतिमा उमराव (स०अ०)
कम्पोजिट विद्यालय अमोली
अमोली, फतेहपुर

शिक्षा का उत्थान

शिक्षक का सम्मान

मिशन शिक्षण संवाद

भारतीय संविधान के भाग

4 क

मूल कर्त्तव्य

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(A) में,
दिये गए हैं ग्यारह मूल कर्तव्य।
सविधान, उसके आदर्श, ध्वज और राष्ट्र गान,
का आदर है हमारा पहला कर्तव्य।।

उच्च आदर्शों को हृदय में रखेंगे, सम्प्रभुता,
एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे।
बढ़ाएँ सामाजिक संस्कृति की परम्परा,
करेंगे देश के साथ पर्यावरण की रक्षा।।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करें,
सरकारी संपत्ति को सुरक्षित रखें।
व्यक्तिगत एवम् सामूहिक गतिविधियों के,
सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ें।।

86 वां संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया,
ज़रूरी है इसका पालन करना।
माता-पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष,
के बच्चो को निशुल्क शिक्षा प्रदान करना।।

रचना- रीना कुमारी (शिक्षक संकुल)
उ० प्रा० वि० सिसाना
बागपत, बागपत

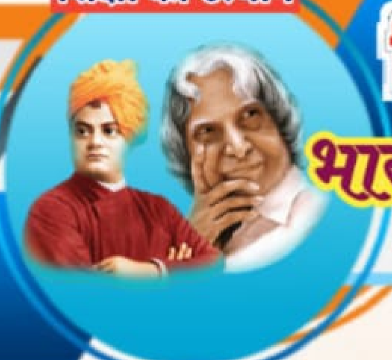

मिशन शिक्षण संवाद

भारतीय संविधान के भाग

05

संघ

एक विशेष सभा, समुदाय,
को संघ या संघठन कहते हैं।
संघ के भी अपने-अपने,
महत्वपूर्ण काम होते हैं।।

संघ बनाने के लिए कुछ,
नियम कानून होते हैं।
संघ के पदाधिकारियों के,
नियम से चुनाव होते हैं।।

एक संघ या फेडरेशन,
एक राजनीतिक सत्त्व है।
केंद्रीय सरकार या राज्यों,
अन्तर्गत संघ का महत्व है।।

संघर्ष और अधिकारों की,
रक्षा करना संघ बतलाता है।
स्वयं सेवक बनकर सबको,
उनका अधिकार दिलाता है।।

रचना- शहनाज़ बानो (स० अ०)
पू० मा० वि० भौंरी-1
मानिकपुर, चित्रकूट

शिक्षा का उत्थान

शिक्षक का सम्मान

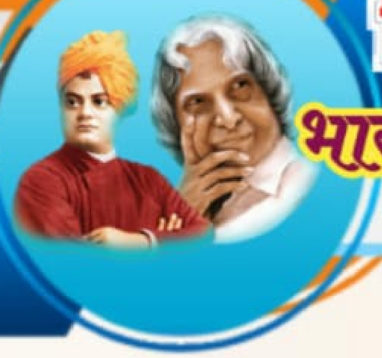

मिशन शिक्षण संवाद

भारतीय संविधान के भाग

06

राज्य

भारत प्यारा वतन हमारा, संवैधानिक देश है।
इसमें 28 राज्य व आठ केंद्र शासित प्रदेश हैं।।

हरियाणा, पंजाब राज्य है राजस्थान और उत्तराखंड।
हैं उत्तर में ये व बीच में, छत्तीसगढ़ और झारखंड।।
गोवा भी है एक राज्य और हिमाचल प्रदेश है।
भारत प्यारा वतन हमारा, संवैधानिक देश है।

नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम और मेघालय है।
सिक्किम, त्रिपुरा और उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल है।।
ये राज्य पूर्व में स्थित, पास ही उत्तर प्रदेश है।
भारत प्यारा वतन हमारा, संवैधानिक देश है।

पश्चिम में महाराष्ट्र, गुजरात, नीचे कर्नाटक, तेलंगाना।
केरल और तमिलनाडु हैं, जिनको सीमा हमने माना।।
इन राज्यों की सीमा से मिलता आंध्र प्रदेश है।
भारत प्यारा वतन हमारा संवैधानिक देश है।।

रचना- पूनम गुप्ता (स०अ०)
प्रा० वि० धनीपुर
ब्लॉक धनीपुर
जनपद अलीगढ़

आओ हाथ से हाथ मिलायें, बेसिक शिक्षा का मान बढायें। 9458278429

शिक्षा का उत्थान

शिक्षक का सम्मान

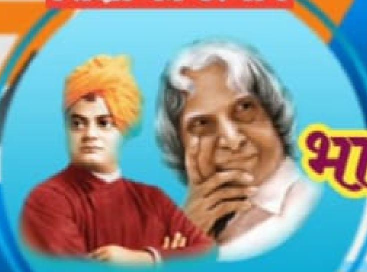

मिशन शिक्षण संवाद

भारतीय संविधान के भाग

07

पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य

प्रथम अनुसूची भाग ख के राज्य का सार,
सबसे बड़ा राज्य अण्डमान निकोबार।
पाँच सौ बहत्तर दीप हैं राजधानी पोर्ट ब्लेयर,
बंगाल की खाड़ी में बसा दक्षिण मे हिंदमहासागर।

सबसे छोटा केंद्रशासित राज्य लक्ष्यदीप,
यह बसा हुआ केरल राज्य के ही समीप।
मूँगों का यह द्वीप,कावारत्ती है राजधानी,
चंगोस लक्ष्यदीप प्रवाल भित्ती जानी पहचानी।

दमन दीव और दादर नगर हवेली,
सीमा महाराष्ट्र से गुजरात तक फैली।
राजधानी दमन और सिलवासा,
पर्यटन को बढ़ावा देता उत्सव तारपा।

भारत का संविधान

पुदुच्चेरी हुआ अब बदलकर नाम,
तमिल में जिसका अर्थ है नया गाँव।
बंगाल की खाड़ी पर बसा,पुदुच्चेरी राजधानी,
भारतीय और फ्रेंच संस्कृति बनी निशानी।

रचना-
फ़राह हारून(प्र० अ०)
प्रा० वि० मढ़िया भांसी
सालारपुर, बदायूँ

शिक्षा का उत्थान

शिक्षक का सम्मान

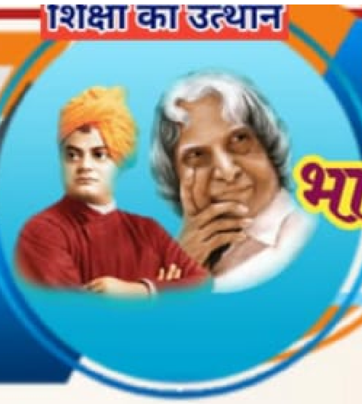

मिशन शिक्षण संवाद

भारतीय संविधान के भाग

08

संघ राज्य क्षेत्र

ये केन्द्र शासित प्रदेश भी हैं कहलाते,
वर्तमान में इनकी संख्या हम 8 हैं पाते।
सीधे केन्द्र सरकार के नियंत्रण में है आते,
अतः संघीय प्रणाली से ये भिन्न हो जाते।।

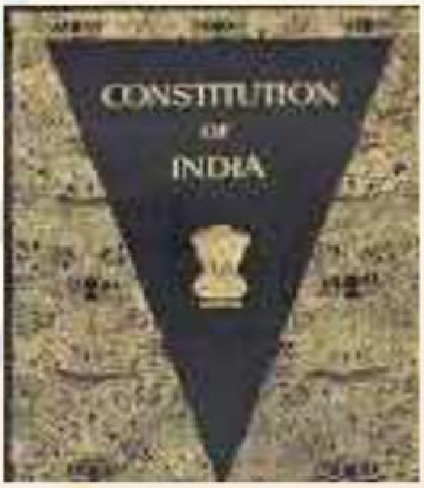

भौगोलिक सांस्कृतिक राजनीतिक व,
प्रशासनिक कारणों से ये बनाए जाते।
दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हम पाते,
इसका उच्च-न्यायालय न्यायालय देख पाते।।

विधानसभा इनमें पाते भी या नहीं भी पाते,
मन्त्रिपरिषद इनमें पाते भी या नहीं भी पाते।
विधानसभा अगर होती भी तो हम,
अधिकार इसके सीमित ही है देख पाते।।

प्रशासक व उप-राज्यपाल की,
नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति है आते।
दिल्ली, पुदुच्चेरी व J&K में उपराज्यपाल
बाकी पाँच में प्रशासक भेजे जाते।।

रचना
गुलफ्शाँ (स०अ०)
प्रा० वि० केवटरा बेंता
देवमई, फतेहपुर

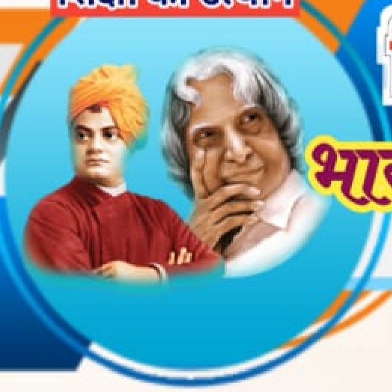

मिशन शिक्षण संवाद

भारतीय संविधान के भाग 09

पंचायतें

संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 में,
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उपबन्ध है।
अर्थात प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और,
जिला स्तर पंचायतें गठित होने का सम्बन्ध है।।

किसी ग्राम पंचायत के पंचायती क्षेत्र में आने वाले,
गाँवों की निर्वाचक नामावली में जो पंजीकृत हैं।
वही पंचायत चुनाव में मतदान कर सकते हैं,
ऐसे सभी लोगों का समूह ही ग्राम सभा स्वीकृत है।।

राज्य सरकार ग्राम सभा को,
विभिन्न शक्तियाँ प्रदान करती है।
ग्राम सभा, ग्राम पंचायत से भिन्न होती है,
यही ग्राम पंचायत सदस्यों का निर्वाचक मण्डल होती है।।

पंचायत का कार्यकाल अपने प्रथम अधिवेशन से,
अधिकतम पाँच वर्ष तक के लिए होता है।
नयी पंचायत का निर्वाचन इसी कार्यकाल के,
समाप्त होने से पहले ही कराना आवश्यक होता है।।

रचना- जितेन्द्र कुमार (स०अ०)
प्रा० वि० धनौरा सिल्वर नगर-1
बागपत, बागपत

शिक्षा का उत्थान

शिक्षक का सम्मान

मिशन शिक्षण संवाद

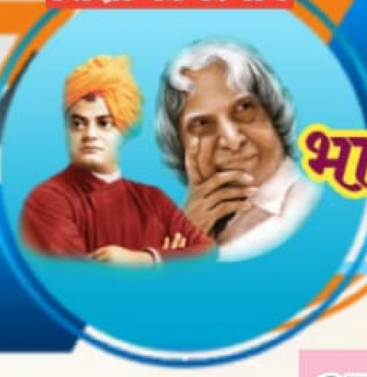

भारतीय संविधान के भाग

10

अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र

भारत
का
संविधान

संविधान की अनुसूची पाँच में ऐसा विधान है,
अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का स्थान है।
अनुसूची पाँच के पैरा छ:(१) में लिखा है ऐसा,
राष्ट्रपति के आदेश से ही कोई क्षेत्र होगा ऐसा।

अनुसूची पाँच के पैरा छ:(२) में प्रावधान है ऐसा,
राज्यपाल परामर्श से क्षेत्र में वृद्धि राष्ट्रपति करेगा।
राष्ट्रपति कभी भी एक राज्य घोषित कर सकते हैं ऐसा,
आबादी और घनक्षेत्र में अधिकता हो जाए तब ऐसा।

संविधान में नौ राज्यों को राष्ट्रपति ने घोषित किया है,
अनुसूचित और जनजाति वर्ग को मान,सम्मान दिया है।
संविधान के अनुच्छेद ४६ से इनको मिलता स्थान है,
सामाजिक अन्याय के शोषण से बचाता ये विधान है।

रचना
रजत कमल वार्ष्णेय (स०अ०)
प्रा०वि०ख़ंजनपुर
इस्लामनगर, बदायूँ

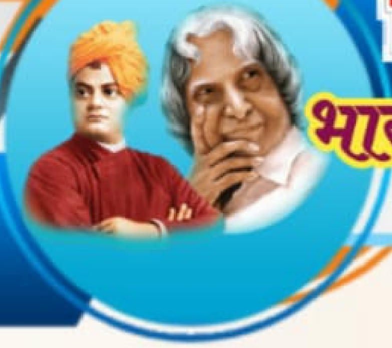

भारतीय संविधान के भाग 11

संघ राज्यों के बीच सम्बन्ध

भारत राज्यों का संघ है,
जहाँ दोनों का ही संग है।
इनसे ही भारत जीता है,
अमृत रस भी पीता है।।

संविधान की तीन शक्तियाँ,
विधाई, प्रशासनिक, वित्तीय।
वित्तीय की होती तीन सूचियाँ,
केंद्रीय, राज्य, समवर्ती सूचियाँ।।

संघ सूची में 100, राज्य में 61 हैं,
समवर्ती सूची में 52 समाहित हैं।
जब-जब आपातकाल आता है,
राज्यों को एक करके जाता है।।

केन्द्र का राज्यों पर नियन्त्रण है,
सहयोग पूरा करते मन्त्रीगण हैं।
अनुच्छेद 263 यह कहता है,
राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सकता है।।

रचना
भुवन प्रकाश (इं०प्र०अ०)
प्रा०वि० पिपरी नवीन
मिश्रिख, सीतापुर

शिक्षा का उत्थान

शिक्षक का सम्मान

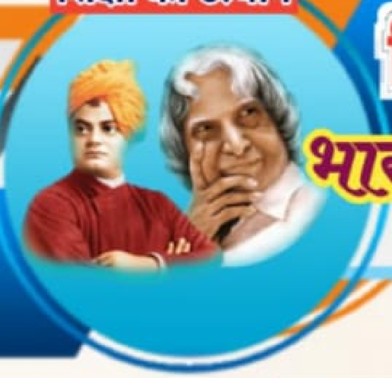

मिशन शिक्षण संवाद

भारतीय संविधान के भाग

12

वित्त, संपत्ति, संविदायें और वाद

मेरा भारत देश महान,
संविधान जिसका अभिमान।
संविधान का बारहवाँ भाग,
वित्त, संपत्ति, संविदा वाद।।

अनुसूची पाँच के पैरा छः(२) में प्रावधान है ऐसा,
राज्यपाल परामर्श से क्षेत्र में वृद्धि राष्ट्रपति करेगा।
राष्ट्रपति कभी भी एक राज्य घोषित कर सकते हैं ऐसा,
आबादी और घनक्षेत्र में अधिकता हो जाए तब ऐसा।

इसमें शामिल संचित निधियाँ,
लोक-लेखें और धनराशियाँ।
संघ राज्य मध्य राजस्व वितरण,
कर विनियोजन अनुदान का विवरण।।

रचना-
सीमा मिश्रा (स०अ०)
कंपोजिट विद्यालय काजीखेड़ा
खजुहा, फतेहपुर

शिक्षा का उत्थान मिशन शिक्षण संवाद शिक्षक का सम्मान

शिक्षा का उत्थान

शिक्षक का सम्मान

मिशन शिक्षण संवाद

भारतीय संविधान के भाग

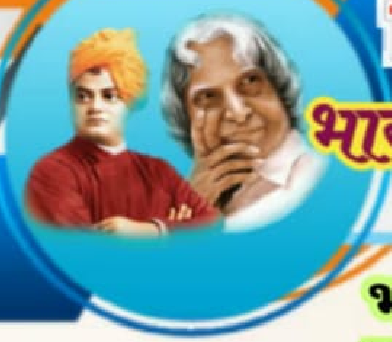

13

भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम

भारत
का
संविधान

भारत ऐसा प्यारा देश हमारा,
कृषि प्रधान है देश हमारा।
व्यापार, वाणिज्य और समागम,
दर्शाता भारत का संविधान है तेरह।।

राज्य और राज्यों के भीतर,
आयात होता वस्तुओं और सेवाओं का।
जिस पर राज्य और संघ लगाते टैक्स है,
कभी होता यह संघ का, कभी राज्य का।।

और कभी वसूले राज्य और संघ हैं,
ऐसा होता टैक्स, व्यापार समागम है।
विभिन्नता में एकता को दर्शाता है,
हमारा देश हमको बहुत भाता है।।

रचना- सुनीता यादव (स०अ०)
कंपोज़िट विद्यालय भिठिया चिचड़ी
गिलौला, श्रावस्ती

शिक्षा का उत्थान

शिक्षक का सम्मान

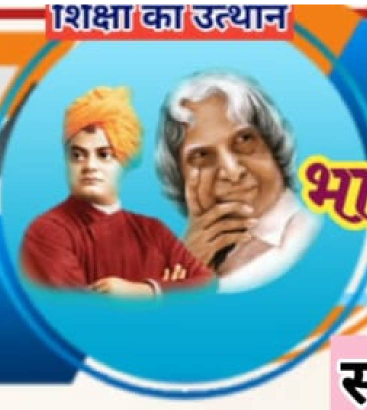

मिशन शिक्षण संवाद

भारतीय संविधान के भाग

14

संघ और राज्य अधीन सेवाएँ

संविधान के 14 वें भाग का सुनो विस्तार,
संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का सार।
निर्वचन और सशर्त लोकसेवा पदों पर हो नियुक्ति,
पदावधि, पदच्युत व पंक्ति अवनत करना आयोग की शक्ति।।

अखिल भारतीय सेवा और संक्रमण कालीन उपबन्ध है शामिल,
प्रत्येक राज्य का हो एक लोक आयोग यही है मुहिम।
राज्यपाल द्वारा हो आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति,
सेवा ले चुके सदस्य की न होती पुनर्नियुक्ति।।

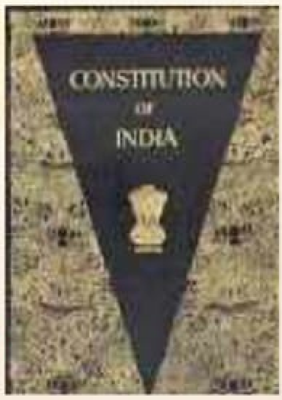

सदस्यों की संख्या व कर्मचारीवृंद सेवा का मान,
आयोग के कार्यों से ही होता प्रतिमान।
राज्य सेवा में नियुक्ति परीक्षाओं का करें संचालन,
अपने कार्य में विस्तार, शक्ति और व्यय का करें संगठन।।

कर्मचारी वेतन, भत्ते और पेंशन का व्यय,
देश अथवा राज्य संचित निधि का कभी न हो अपव्यय।
आयोग प्रतिवर्ष अपने किए कार्यों का देता प्रतिवेदन,
इस प्रकार से संघ व राज्य अधीन सेवाओं का है विवरण।।

रचना-
दीपिका जैन (स०अ०)
प्रा० वि० बनगवां
सालारपुर, बदायूँ

शिक्षा का उत्थान

शिक्षक का सम्मान

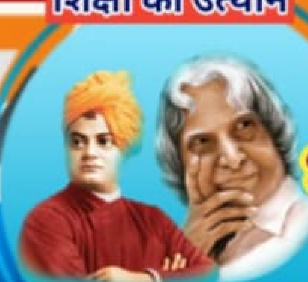

मिशन शिक्षण संवाद

भारतीय संविधान के भाग

15

निर्वाचन

निर्वाचन है लोकतान्त्रिक एक प्रक्रिया,
जिसमें जनता चुनती है प्रतिनिधि अपना।
लोकतान्त्रिक देश में जनता का हक़ है,
मत देकर नेता को चुनना अपना।।

लोकतंत्र में निर्वाचन के अलग-अलग हैं स्तर,
होते चयनित न्यायपालिका, कार्यपालिका के पद पर।
संविधान के भाग पन्द्रह में वर्णित है निर्वाचन,
अनुच्छेद 324 में व्याख्यायित नियन्त्रण व निर्देशन।।

क्षेत्रीय और स्थानीय निकायों में भी होता निर्वाचन,
अन्य संस्थानों और क्लबों में भी होता है निर्वाचन।
लोकसभा की 543 सीटों के प्रतिनिधि चुने जाते,
राज्यों की विधानसभाओं के विधायक भी चुने जाते।।

सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के होते हैं तीन भाग,
वयस्क मताधिकार प्राप्त मतदाता करता मतदान।
25 जनवरी 1950 को गठित हुआ निर्वाचन आयोग,
1989 तक एक सदस्यीय संगठन था यह आयोग।।

रचना
शिखा वर्मा (इं०प्र०अ०)
पू० मा० वि० स्योढ़ा,
बिसवां, सीतापुर

शिक्षा का उत्थान

शिक्षक का सम्मान

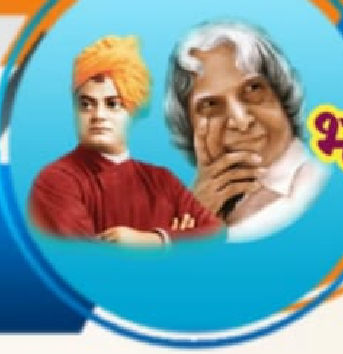

मिशन शिक्षण संवाद

भारतीय संविधान के भाग

16

कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध

भारत
का
संविधान

26 नवम्बर 1949,
बना भारत का संविधान।
पूरे विश्व में सबसे बड़ा,
देखो यह है कितना महान।।

भाग-16 में है मिलता कुछ,
वर्गों का विशेष उपबन्ध।
लोकसभा, विधानसभा में है,
कैसे हो इनका प्रबन्ध।।

अनुसूचित जातियों व जनजाति का,
इसमें देखो आरक्षण होगा।
आंग्ल भारतीय समुदायों का भी,
इसमें देखो रक्षण होगा।।

रचना-
आकांक्षा मिश्रा (स०अ०)
प्राथमिक विद्यालय सिकन्दरपुर
सुरसा, हरदोई

शिक्षा का उत्थान

शिक्षक का सम्मान

मिशन शिक्षण संवाद

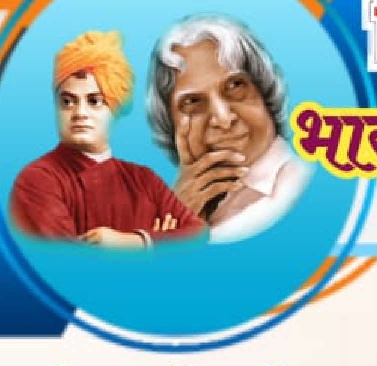

भारतीय संविधान के भाग

17

राजभाषा

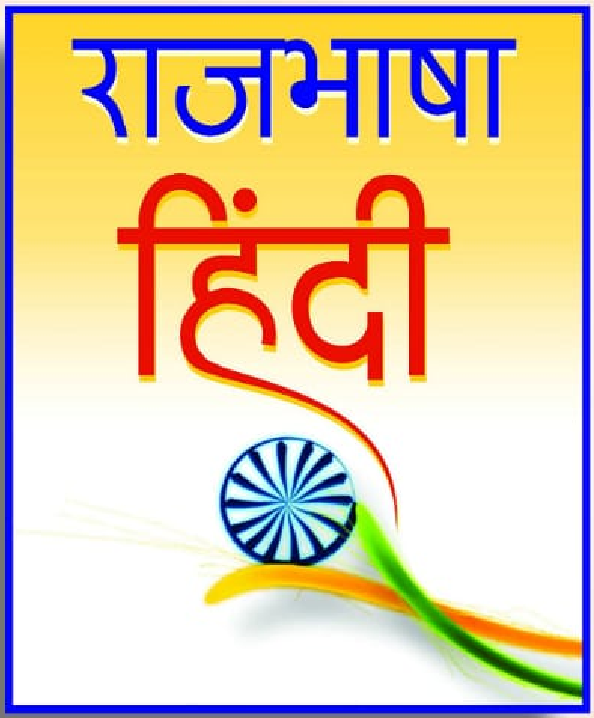

सम्पूर्ण राज्य में सर्वत्र मान्य,
होती है जब कोई भाषा।
किसी राज्य या देश की,
घोषित भाषा होती है राजभाषा।।

राज्यों की विधानसभाएँ किसी एक या,
अधिक भाषाओं को मिलता है ये स्थान।
संविधान की अष्टम अनुसूची में कुल,
22 भारतीय भाषाओं का है स्थान।।

14 सितम्बर 1949 को संविधान सभा में,
हिन्दी बनी हमारी राजभाषा।
संविधान मे अनुच्छेद 343 से 351 तक,
राजभाषा के सम्बन्ध में है व्यवस्था।।

भारतीय संसद के दोनों सदनों ने,
1968 मे लिया राजभाषा संकल्प।
करें हिंदी का विकास एवं प्रचार-प्रसार,
एकता की भावना और जनता में संचार।।

रचना- ज्योति सागर (स०अ०)
उ० प्रा० वि० सिसाना
बागपत, बागपत

शिक्षा का उत्थान

शिक्षक का सम्मान

मिशन शिक्षण संवाद

भारतीय संविधान के भाग

18

आपात उपबन्ध

26 नवम्बर को हम,
संविधान दिवस मनाते।
आपात उपबन्ध होता है
आओ तुम्हें बताते मनाते।।

राष्ट्रपति को आपात शक्ति है,
अनुच्छेद 352 में निहित है।
लगता पूरे देश में आपात,
शासन आता राष्ट्रपति के हाथ।।

भारत
का
संविधान

अनुच्छेद 356 राज्य में,
राष्ट्रपति शासन लगता।
विधानसभा भंग हो जाती,
मुख्यमंत्री का इस्तीफा होता।।

वित्तीय आपात लगता,
अनुच्छेद 360 में।
जब देश होता है,
धन की कमी में।।

रचना-
सुधांशु श्रीवास्तव (स०अ०)
प्रा० वि० मणिपुर
ऐरायां, फतेहपुर

शिक्षा का उत्थान

शिक्षक का सम्मान

मिशन शिक्षण संवाद

भारतीय संविधान के भाग

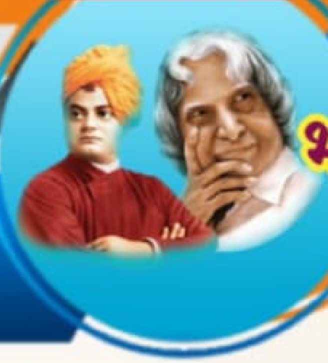

19

प्रकीर्ण

भारतीय संविधान भाग 19,
कहलाता है ये प्रकीर्ण।
वर्णित है अनु०361-367 के बीच
जल्दी से हम लें सीख।।

राष्ट्रपति, राज्यपालों व राज्यप्रमुखों
के संरक्षण का इसमें वर्णन।
संधियों और करारों में उत्पन्न विवादों
में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन।।

महापत्तनों एवं विमानक्षेत्रों से सम्बंधित,
निर्णयों को राष्ट्रपति है लेता।
केंद्र प्रदत्त कार्यों को न निर्वाहन कर पाता,
इस पर राज्य दोषी पाया जाता।।

देशी राज्यों के शासको के अधिकारों,
को कर दिया गया निसरित।
शासन संचालन की परिभाषाएँ,
व निर्वाचन है इसमें वर्णित।।

रचना-
रीनू पाल (स.अ.)
प्रा. वि. दिलावलपुर
देवमई, फतेहपुर

शिक्षा का उत्थान

शिक्षक का सम्मान

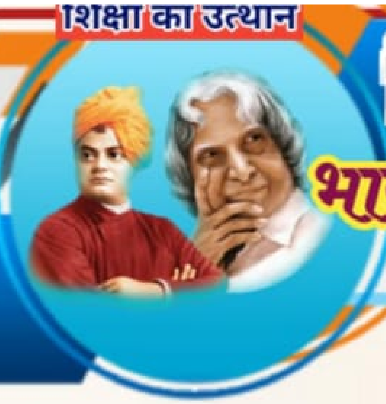

मिशन शिक्षण संवाद

भारतीय संविधान के भाग

20

संविधान संशोधन

संविधान का बीसवाँ भाग,
संशोधन को बतलाता है।
किसी उपबन्ध के परिवर्धन,
या परिवर्तन को दर्शाता है।।

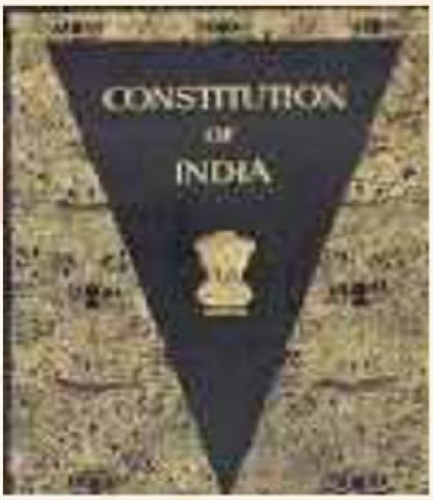

हो सदन की बहुमत दो तिहाई,
विधेयक पारित हो जाता है।
राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति दे,
तब संशोधित हो जाता है।।

यदि हो संशोधन सातवीं अनुसूची में,
या अनुच्छेद 54, 55, 73, 162 में।
241 हो या भाग 5 के अध्याय 4 में,
भाग 6 के अध्याय 5 या अध्याय 11 के 1 में।।

राष्ट्रपति की अनुमति से पहले,
कम से कम आधे राज्यों से।
लिया जाता है अनुसमर्थन,
राज्यों के विधान मण्डलों से।।

रचना-
सुमन पांडेय (प्र०अ०)
प्रा० वि० टिकरी मनौटी
खजुहा, फतेहपुर

शिक्षा का उत्थान शिक्षक का सम्मान

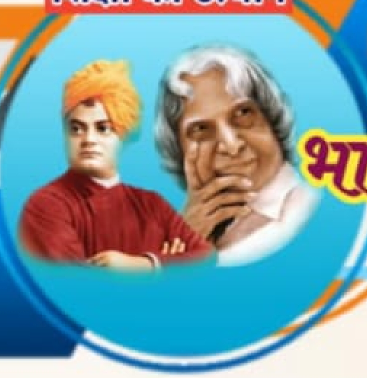

मिशन शिक्षण संवाद

भारतीय संविधान के भाग 21

अस्थायी, संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध

भारत का संविधान

अनुच्छेद 369 से 392 तक,
रखते भाग 21 से सम्बंध।
इसमें वर्णित हैं कई, अस्थायी,
संक्रमण कालीन व विशेष उपबंध।।

राज्य सूची के कुछ विषयों में,
संसद की विधि बनाने की शक्ति।
जैसे हों समवर्ती विषय,
है यह अस्थायी शक्ति ।।

महाराष्ट्र, गुजरात, असम,
आन्ध्र प्रदेश, गोवा, नागालैण्ड ।
मणिपुर, मिजोरम के लिए
इसमें, हैं विशेष उपबंध ।।

रचना-
उषा देवी (इ० प्र० अ०)
प्राथमिक विद्यालय तलकापुर
हथगाम, फतेहपुर

शिक्षा का उत्थान

शिक्षक का सम्मान

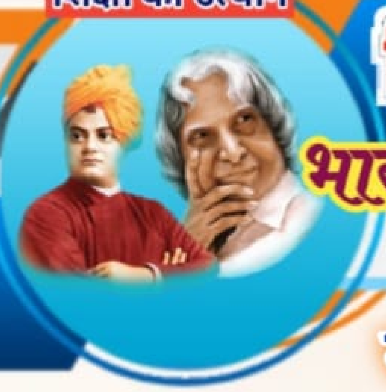

मिशन शिक्षण संवाद

भारतीय संविधान के भाग 22

संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन

भारतीय संविधान है बड़ा महान,
पूरे विश्व में है इसका गुणगान।
इतना बड़ा हमारा,
देखो लिखित संविधान।।

हिन्दी का था ज्यादा गुणगान,
नींव पड़ी इसकी अंग्रेजी में।
फिर हुए इसका अनुवाद,
समा गया यह भाग 22 में।।

राष्ट्रपति जी हैं इसके संरक्षक,
हर अनुवाद का करते निरीक्षण।
हिन्दी को मिला बड़ा सम्मान,
आ गया हिन्दी भाषा में हमारा संविधान।।

रचना- अंजली मिश्रा (स०अ०)
प्राथमिक विद्यालय असनी 1
भिटौरा, फतेहपुर।

मिशन शिक्षण संवाद

भारतीय संविधान के भाग

रचनाकारों की सूची

1 आयुषी अग्रवाल, मुरादाबाद
2 नैमिष शर्मा, मथुरा
3 हेमलता गुप्ता, अलीगढ़
4 प्रतिमा उमराव, फतेहपुर
4 क रीना कुमारी, बागपत
5 शहनाज़ बानो, चित्रकूट
6 पूनम गुप्ता, अलीगढ़
7 फ़राह हारून, बदायूँ
8 गुलफ्शां, फतेहपुर
9 जितेन्द्र कुमार, बागपत
10 रजत कमल वार्ष्णेय, बदायूँ
11 भुवन प्रकाश, सीतापुर
12 सीमा मिश्रा, फतेहपुर
13 सुनीता यादव, श्रावस्ती
14 दीपिका जैन, बदायूँ
15 शिखा वर्मा, सीतापुर
16 आकांक्षा मिश्रा, हरदोई
17 ज्योति सागर, बागपत
18 सुधांशु श्रीवास्तव, फतेहपुर
19 रीनू पाल, फतेहपुर
20 सुमन पांडेय, फतेहपुर
21 उषा देवी, फतेहपुर
22 अंजलि मिश्रा, फतेहपुर

तकनीकी सहयोग
1 नाज़िया परवीन, मुरादाबाद
2 नमिता राजपूत, मुरादाबाद

मार्गदर्शनः- राज कुमार शर्मा, चित्रकूट

संकलनः- मिशन शिक्षण संवाद